क्रमांक-2

मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

मंगलवार, दिनांक 19 फरवरी, 2013 (माघ 30, 1934)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.33 बजे समवेत हुई.

1 . निधन का उल्लेख

अध्यक्ष महोदय, श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, उपनेता प्रतिपक्ष, सर्वश्री रामलखन सिंह, पारस सकलेचा, आरिफ अकील , सदस्यगण तथा श्री बाबूलाल गौर, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री द्वारा सर्वश्री नारायण प्रसाद गुप्ता एवं नंद किशोर भट्ट, भूतपूर्व संसद सदस्यगण, डॉ. हमीद कुरैशी एवं श्री मनहरण लाल पाण्डेय, भूतपूर्व मंत्री एवं सदस्यगण विधान सभा, श्री चंद्रिका प्रसाद त्रिपाठी, भूतपूर्व सांसद एवं सदस्य विधान सभा तथा देश में घटित विभिन्न हृदय विदारक दुर्घटनाओं में दिवंगत व्यक्तियों के निधन पर शोकोदगार व्यक्त किये गये।

सदन द्वारा 2 मिनिट मौन खड़े रहकर, दिवंगतों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित कर शोकाकुल परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट की गई। दिवंगतों के सम्मान में सदन की कार्यवाही पूर्वाह्न 10.57 बजे 5 मिनट के लिए स्थगित की जाकर 11.03 बजे पुन: समवेत हुई।

2. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित में से 5 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये। प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 58 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 60 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

(चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, उप नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में कांग्रेस पक्ष के सदस्यगण द्वारा अध्यापक संवर्ग की मांगों के संबंध में शासन द्वारा चर्चा नहीं कराने के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया।)

3. नियम 267-क के अधीन विषय

श्री आरिफ अकील, सदस्य ने भोपाल के शासकीय अस्पतालों में आई.सी.यू. की व्यवस्था न होने संबंधी नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचना प्रस्तुत की।

4. दिसम्बर, 2012 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का पटल पर रखा जाना

अध्यक्ष महोदय ने दिसम्बर, 2012 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों को पटल पर रखे जाने की घोषणा की।

5. नियम 267-क के अधीन दिसम्बर, 2012 सत्र में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना

अध्यक्ष महोदय ने नियम 267-क के अधीन दिसम्बर, 2012 सत्र में पढ़ी गई सूचनाओं तथा शासन से प्राप्त उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखे जाने की घोषणा की।

6. राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि विधान सभा के विगत सत्रों में पारित 14 विधेयकों को महामहिम राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो गई है। अनुमति प्राप्त विधेयकों के नाम दर्शाने वाले विवरण की प्रतियां माननीय सदस्यों को वितरित कर दी गई हैं। अत: निम्नलिखित विधेयकों के नाम कार्यवाही में मुद्रित किये जायेंगे :-

क्र.	राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त विधेयक	अधिनियम क्रमांक
1.	मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-4) विधेयक, 2012 (क्रमांक 33 सन् 2012)	अधिनियम क्रमांक 34 सन् 2012
2.	सांची बौद्ध-भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय विधेयक, 2012 (क्रमांक 35 सन् 2012)	अधिनियम क्रमांक 1 सन् 2013
3.	मध्यप्रदेश वेट (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 34 सन् 2012)	अधिनियम क्रमांक 2 सन् 2013
4.	न्यायालय फीस (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 30 सन् 2012)	अधिनियम क्रमांक 3 सन् 2013
5.	मध्यप्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 31 सन् 2012)	अधिनियम क्रमांक 4 सन् 2013
6.	मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 36 सन् 2012)	अधिनियम क्रमांक 5 सन् 2013
7.	मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 27 सन् 2012)	अधिनियम क्रमांक 6 सन् 2013
8.	मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक, 2012 (क्रमांक 26 सन् 2012)	अधिनियम क्रमांक 7 सन् 2013
9.	मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 29 सन् 2012)	अधिनियम क्रमांक 8 सन् 2013
10.	मध्यप्रदेश उपकर (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 32 सन् 2012)	अधिनियम क्रमांक 9 सन् 2013
11.	मध्यप्रदेश गृह-निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 28 सन् 2012)	अधिनियम क्रमांक 10 सन् 2013
12.	मध्यप्रदेश श्रम कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 25 सन् 2012)	अधिनियम क्रमांक 11 सन् 2013
13.	मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 37 सन् 2012)	अधिनियम क्रमांक 12 सन् 2013
14.	मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता (निरसन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 38 सन् 2012)	अधिनियम क्रमांक 13 सन् 2013

7. ध्यान आकर्षण

(1) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य ने भोपाल जिले के ग्राम मालीखेड़ी में गोवर्धन योजना हेतु आवंटित भूमि की अवैध बिक्री किये जाने की ओर ध्यान आकर्षित किया। श्री बाबूलाल गौर, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) श्री सुदर्शन गुप्ता, सदस्य ने इंदौर एवं भोपाल के रहवासी क्षेत्र में हाईटेंशन विद्युत लाईन से दुर्घटनाएं होने की ओर ध्यान आकर्षित किया। श्री राजेन्द्र शुक्ल, ऊर्जा मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

8. कार्य मंत्रणा समिति के प्रतिवेदन की प्रस्तुति एवं स्वीकृति

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक सोमवार, दिनांक 18 फरवरी, 2013 को सम्पन्न हुई, जिसमें लिए गए निर्णयानुसार, वर्ष 2012-13 के तृतीय अनुपूरक अनुमान की मांगों पर मतदान एवं तत्संबंधी विनियोग विधेयक के पुर:स्थापन, विचार एवं पारण पर चर्चा हेतु 2 घंटे का समय निर्धारित करने की सिफारिश की गई है।

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि अध्यक्ष महोदय ने अभी जिस कार्य पर चर्चा के लिए समय निर्धारण करने के संबंध में कार्य मंत्रणा समिति की जो सिफारिश पढ़कर सुनाई, उन्हें सदन स्वीकृत देता है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

9. सभापति तालिका की घोषणा

अध्यक्ष महोदय द्वारा मध्यप्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 9 के उप नियम (1) के अधीन, निम्नलिखित सदस्यों को सभापति तालिका के लिये नामनिर्दिष्ट किया गया :-

(1) श्री ज्ञान सिंह
(2) श्री केदारनाथ शुक्ल
(3) श्रीमती नीता पटैरिया
(4) डॉ. गोविन्द सिंह
(5) चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी
(6) श्री रामलखन सिंह

पूर्वाह्न 11.56 बजे विधान सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 20 फरवरी, 2013 (फाल्गुन 1, 1934) के पूर्वाह्न 10.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल :
दिनांक : 19 फरवरी, 2013